

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील में  
जारी हुए

तारीख  
हुक्म

हुक्म या आदेश मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील में  
जारी हुए

27-6-18

पञ्जाब के भारत सरकार के अख्तियार  
अपने कार 2018 के मय हिंजोरिया के  
पक्ष हरी। प्रथम सर्वाधिकार।  
बहुत कुछ करना हुनी गर्व। अख्तियार  
में मायाना के मय है कि पञ्जाब के  
सर्वेक्षण के आदेश 408, 409

सत्यमेव जयते

410, 411, 412, 414, 415 कुल मिला  
7 कुल मिला 7 बिना 6 बिना मिला  
है। जो कि सर्वाधिकार। के प्रति व 2  
के मिला के 1/2 एक हिस्से ले हरे  
करना है। उक्त आदेशियात भांग्या,  
व ले हरीया के 1/2, 1/2 एक हिस्से  
से हरे करना है। भांग्या के फौत हो  
पाने पर ले हरीया के अख्तियार आदेशियात  
अपने नाम पर अख्तियार के सर्वाधिकार  
संख्या। व 2 के नाम बताने किया कर  
करा ली। उक्त अख्तियार के अख्तियार  
में कोई सूचना नहीं दि गयी। उक्त  
आदेशियात के हाल नम्बर 762  
765, 740, 744, 776, 748, 753,  
757, 763, 764 कुल मिला 10  
कुल संख्या 3.92 है। स्थित है जो  
ले हरीया के अख्तियार के नाम हरे  
करना है। मंत्रों पर अख्तियार आदेशियात  
है। उक्त आदेशियात में ले हरीया  
1/2 एक हिस्से के हरे सर्वाधिकार।  
है। अतः अख्तियार-पिछे पाया

Web Copy - Not Official

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इ  
हुकम की तामील  
जारी हुए

बहु पर मनन किया। प्रथम नियम  
नामला प्राथमिक के पत्र में बनाता  
है। अतः नियम किया जाता है कि  
मौजा ५५ संप्रदाय के लिये निर्धारित  
अधीन कपासन की ७६२  
७६५, ७५०, ७५५, ७७६, ७५८, ७५३  
७५७, ७६३, ७६५ कुल गिन १०  
कुल रकबा ३.९२ है। ये कुल बाँट  
के नियम तब शपथ के नीचे  
पदाधिकारी बनाये गये जिनके  
अधीन उनका पत्रबन्ध किया जाता है।  
पत्रबन्धी के पत्र धुआँट इतर-मन्दा  
के मय हो। अतः सुनाया गया।

(अभिषेक गोयले)  
सहायक जज (अधीन)  
उपस्थित अधिकारी कपासन  
जिला-बिलोडगढ़ (राज.)